

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम— Other Training and capacity building programmes
बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष — Community Visit for Students & Teachers
बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या — A.9.11.3.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण— ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल के प्रशिक्षुओं का समुदाय/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का भ्रमण भारतीय उपचार्या परिषद् के द्वारा निर्धारित मानकों के तहत Syllabus का आवश्यक अंग है। समुदाय के भ्रमण के लिए दी गई राशि चार माह के लिए प्रत्येक ए०एन०एम०/जी०एन०एम० स्कूलों के लिए है। प्रत्येक जी०एन०एम० स्कूलों को 80–80 हजार रूपये, प्रत्येक ए०एन०एम० स्कूलों को 50–50 हजार रूपये (ए०एन०एम० स्कूल, गोपालगंज एवं मुंगेर को छोड़कर) दी गयी है। ए०एन०एम० स्कूल गोपालगंज एवं मुंगेर को नामांकित छात्राओं की संख्या बल को आधार मान कर 35–35 हजार रूपये उपलब्ध कराया गया है। यह राशि चार माह के लिए है।

इकाई राशि (रु० में) : कुल राशि ₹ 1500000

वित्तीय दिशा निर्देशन—

उपरोक्त वर्णित राशि ए०एन०एम० स्कूल हेतु जिला स्वास्थ्य समिति को दी जा रही है। इस राशि को जिला स्वास्थ्य समिति खुद खर्च कर सकता है या प्राचार्या ए०एन०एम० स्कूल को उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला स्वास्थ्य समिति चाहे स्वयं खर्च करे या प्राचार्या को उपलब्ध कराये, दोनों हालत में प्राचार्या से सामुदायिक भ्रमण की कार्य-योजना प्राप्त कर ही राशि को खर्च करेंगे। यद्यपि जी०एन०एम० स्कूल हेतु राशि सीधे मेडिकल कॉलेजों को दी जा रही है। यह राशि गाड़ी उपलब्ध कराने एवं उसके लिए ईंधन की आवश्यकता पर ही खर्च होगा अगर बीते वर्ष में प्राचार्या को राशि उपलब्ध कराया गया हो तो उसकी उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं भाउचर प्राप्त करने के बाद ही पुनः राशि उपलब्ध कराया जाय।

खर्च की गई राशि का व्यौरा प्रत्येक 3 माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाय एवं उसकी एक प्रति के साथ—साथ सामुदायिक भ्रमण कार्य योजना की एक प्रति भी उपनिदेशक, प्रशिक्षण, राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाय।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम—डा० जयती श्रीवास्तव, उपनिदेशक—प्रशिक्षण
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर— 0612-3244041, 9470003019

Zeyati / 8/7/11

Annexure-3

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम:- भेकटर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम बिहार।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर):-
Mobility for District Malaria office

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर):-

FMR Code -A.10.1.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम):- भेकटर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों के जिला मलेरिया कार्यालय के पदाधिकारी को रोग नियंत्रण हेतु पर्योक्षण के लिए नौ माह हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।
इकाई राशि (रु० में):- 20,000 हजार रुप्ये प्रति जिला।

वित्तीय दिशा निर्देश:- इस मद की राशि से संबंधित जिले के पदाधिकारी भेकटर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पर्योक्षण में सहायता किया जा सकेगा।

Q इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें):-

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम:- डा० ए०के०गुप्ता / संजय कुमार।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नम्बर:- 9135070198

114✓